दिनांक 21–11–2014 को श्री जीतन राम मांझी, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली, 1995 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थिति – पंजी के अनुसार

2– माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। सर्वप्रथम सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने राज्य सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए सूचित किया कि आज की बैठक की कार्यावली एवं दिनांक–07.02.2014 की बैठक की कार्यवाही तथा अनुपालन प्रतिवेदन सभी सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है।

बैठक की कार्यवाही में किसी भी माननीय सदस्यों से संशोधन का प्रस्ताव प्राप्त नही है।

अतः सर्वसम्मति से दिनांकः–07.02.2014 की बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गई।

कार्यावली बिन्दु संख्या–2

3– माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा गत बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की कंडिकावार समीक्षा के कम में निम्नांकित निर्णय लिये गये/निदेश दिये गयेः–

(क) आरक्षी महानिदेशक के स्तर पर ConvictionRate में सुधार एवं लंबित मामलों (pending cases) में कमी के लिए बनाई गई कार्य योजना की समीक्षा

संयोजक–सह–सचिव द्वारा सूचित किया गया कि पुलिस महानिदेशक के स्तर से सभी आरक्षी अधीक्षक को Conviction Rate में सुधार एवं लंबित मामलों (pending cases) में कमी के लिए बनाई गई कार्य योजना पर लगातार कार्य करने का निदेश दिया जा रहा है।

अपर पुलिस महानिदेशक (क0व0) के द्वारा बतलाया गया कि माह सितम्बर, 2014 तक 4625 मामले लंबित है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के मामलें में सजा दर बहुत कम होने पर चिंता व्यक्त किया गया एवं **उनके द्वारा निम्नांकित निदेश दिया गया :–**

- **Conviction Rate में सुधार एवं लंबित मामलों (pending cases) में कमी लाने के लिए नियमित अनुश्रवण एवं समीक्षा की जाय।**
- **हर हाल में 30 दिनों में चार्जशीट दायर किया जाय एवं गंभीर मामलों में 60 दिनों में स्पीडी ट्रायल (Speedy trial) द्वारा मामलों का निष्पादन किया जाय।**
- **इसके साथ–साथ यह भी निदेश दिया गया कि पुलिस महानिदेशक लंबित काण्डों के निष्पादन हेतु कार्य योजना तैयार कर आर्म्स एक्ट के अनुरूप कार्य करने के लिए निदेश जारी करे।**
- **पुलिस महानिदेशक प्रत्येक माह सभी पुलिस अधीक्षक के साथ Video conference करें।**

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक(क0व0))

(ख) नव सृजित "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" में आधारभूत संरचना एवं अन्य संसाधनों की उपलब्धता की समीक्षा।

प्रधान सचिव, गृह विभाग ने समिति को सूचित किया कि **"अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना"** आधारभूत संरचना एवं अन्य संसाधनों के साथ अच्छे भवनों में कार्यरत हैं। कटिहार, नवगछिया, औरंगावाद, समस्तीपुर, बक्सर, मोतीहारी, नालन्दा, सिवान अररिया एवं पूर्णियां में **"अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना"** के भवन निर्माण का कार्य बिहार राज्य पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा कराया जा रहा है।

साथ ही वाहन एवं फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया है।

माननीय अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नांकित निदेश दिया गया:–

- **शेष "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" के भवनों का निर्माण कराया जाय।**
- **सभी "अनु0 जाति/अनु0 जनजाति विशेष थाना" में अनु0 जाति /अनु0 जनजाति के पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाय।**

(अनुपालन–गृह विभाग)

(ग) अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के भूमि विवाद से संबंधित मामलों के निरंतर अनुश्रवण हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा गठित विशेष कोषांग के कार्यो की समीक्षा।

प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूचित किया कि विशेष कोषांग के माध्यम से अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों के बीच वितरित सरकारी भूमि से बेदखली मामलों की अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर गठित कोर ग्रुप के कार्यो की समीक्षा की जाती है।

समीक्षा के कम में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि

- **भूमिहीन अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के पर्चाधारियों को भूमि पर दखल दिलाने के लिए जनवरी से मार्च तक अभियान चलाया जाय।**
- **भूमि विवाद के मामलों का नियमित समीक्षा करते हुए निष्पादन ससमय की जाय तथा जिलावार प्रतिवेदन तैयार कर समिति के समक्ष रखा जाय।**
- **प्रधान सचिव, गृह विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारियों के मासिक राज्य स्तरीय बैठक में नियम–10 के तहत धोषित विशेष पदाधिकारियों के कार्यो की समीक्षा की जाय।**

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/गृह विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–3

4–नोडल पदाधिकारी (प्रधान सचिव गृह विभाग) द्वारा नियम–9 के तहत नियम–4(2), नियम–4(4), नियम–6 एवं नियम–8 (XI) के अधीन किये गये कार्यो की समीक्षा।

प्रधान सचिव, गृह विभाग ने समिति को बताया कि अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सचिव, विधि विभाग, महानिदेशक अभियोजन एवं अपर पुलिस महानिदेशक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग के साथ नियमावली–1995 के नियम–9 के आलोक में सभी सम्बंधित पदाधिकारियों की प्रत्येक तिमाही के अंत में समीक्षा की जा रही है। दिनांक–09.07.2014 एवं 04.08.14 को नोडल पदाधिकारी के रूप में समीक्षा की गई है।

- इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि अधिनियम/नियम के आलोक में प्रधान सचिव, गृह विभाग **Conviction Rate** में सुधार, लंबित मामलों **(pending cases)** में कमी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विशेष थाना, विशेष पदाधिकारियों के कार्यो एवं तत्काल राहत अनुदान, आदि की समीक्षा करें।

(अनुपालन–गृह विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–4

5–नियम–4 के तहत महानिदेशक अभियोजन के द्वारा विशेष लोक अभियोजकों के कार्यक्षमता (Performance Appraisal) की समीक्षा।

महानिदेशक अभियोजन ने सूचित किया कि विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों एवं कार्यक्षमता की समीक्षा दिनांक 05.03.2014, 11.07.2014 एवं 08.10.2014 को की गई है। समीक्षा के कम मे शिवहर, पूर्णिया, सारण(छपरा) एवं मुजफ्फरपुर के विशेष लोक अभियोजकों के कार्यो को असंतोषजनक पाये जाने के कारण स्पष्टीकरण पूछा गया है। असंतोषजनक कार्य करने वाले विशेष लोक अभियोजकों को हटाने के लिए विधि विभाग से आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया जायेगा,

अध्यक्ष, महोदय द्वारा निम्नांकित निदेश दिया:–

- **विशेष लोक अभियोजक के कार्यो की नियमित समीक्षा महानिदेशक अभियोजन एवं विधि विभाग द्वारा किया जाय।**
- **वैसे विशेष लोक अभियोजक, जो अधिनियम/नियम के तहत संतोषजनक कार्य नही करते है, के जगह पर नये योग्य वरिष्ठतम अधिवक्ता को कार्य दायित्व सौपी जाय।**
- **महानिदेशक, अभियोजन सुलह, सजा प्राप्त, साक्ष्य हेतु लंबित मामलों, गवाह हेतु लंबित मामलों के संबंध में प्रतिवेदन संधारित करेंगे एवं अगली बैठक में समिति के समक्ष रखेंगे। प्रतिवेदन Progressive होना चाहिए।**

(अनुपालन–विधि विभाग/महानिदेशक अभियोजन)

कार्यावली विन्दु संख्या–5

6–नियम–4(1) के अनुसार सचिव, विधि विभाग द्वारा विशेष लोक अभियोजकों के लिए जिलावार वरिष्ठ अधिवक्ताओं के नवीन पैनल तैयार करने एवं नियम–4(6) के अनुसार उनके उच्चतर दर पर फीस का निर्धारण/ भुगतान की समीक्षा।

सचिव विधि विभाग ने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के तहत दर्ज वादों के त्वरित निष्पादन के लिए पांच जिलो यथा, पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय एवं मजफ्फरपुर में अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त है। सामान्य प्रशासन विभाग से अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Courts) की स्थापना हेतु अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के 1–1 पद कुल 5 पदों की स्वीकृति दी गई है एवं विधि विभाग द्वारा अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों की स्वीकृति दी गई है। **विशेष लोक अभियोजकों** को नियम–4(6) के अनुसार उनके उच्चतर दर पर फीस का भुगतान किया जाता है।

– — –

माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा निम्नांकित निदेश दिया गयाः–

- **विधि विभाग शेष जिलों में भी अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Court) के गठन की कार्रवाई शीघ्र करें।**
- **विधि विभाग विशेष लोक अभियोजकों के कार्यों एवं कार्यक्षमता की समीक्षा की प्रकिया तैयार करे।**
- **नियम–4(6) के अनुसार विशेष लोक अभियोजकों को उच्चतर दर पर फीस का निर्धारण/भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।**

(अनुपालन–विधि विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–6

7–नियम–10 के अनुसार "विशेष अधिकारी" के कार्यो की समीक्षा।

सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि सभी जिला पदाधिकारियों से अधिनियम/नियम के तहत जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारियों के कार्यो की समीक्षा करने का निदेश दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा समीक्षा के कम में निम्नांकित निदेश दिया गयाः–

- **नियम–10 के तहत जिला स्तर पर अपर समाहर्त्ता स्तर के प्राधिकृत विशेष पदाधिकारियों एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों को अधिनियम के आलोक में तुरंत राहत एवं सुरक्षा के उपाय के प्रति जागरूक होने के लिए एक Awarness Programme का आयोजन किया जाय।**
- ***मुख्य सचिव के स्तर पर प्रत्येक माह होनेवाले Video conference के माध्यम से प्रत्येक जिला पदाधिकारी के साथ समीक्षा की जाय।***

(अनुपालन–मुख्य सचिव/गृह विभाग/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–7

8–पीड़ित व्यक्तियों को दी गयी राहत, यात्रा भत्ता और पुर्नवास सुविधाएं तथा उससे संबद्ध अन्य मामलों की समीक्षा

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में ₹695.00 लाख व्यय कर 2197 पीड़ितों को लाभांवित किया गया है। जबकि वित्तीय वर्ष 2014–15 में ₹987.19 लाख की स्वीकृति दी गई है। अबतक 2103 पीड़ितों को लाभांवित किया गया है। जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अंतिम आरोप पत्र समर्पित नहीं किये जाने से राहत राशि के भुगतान में कठिनाई होती है। हत्या/बलात्कार के मामले में आश्रित/पीड़िता को निर्धारित दर पर प्रति माह की दर से पेंशन देने की कार्रवाई की जा रही है। 220 पेंशन के लाभुकों की सूची संधारित की गई है। यात्रा भत्ता एवं अन्य विधिक सहायता दी जा रही है। इस संबंध में आवश्यक निदेश अपेक्षित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि हत्या एवं बलात्कार के मामलों में तत्काल राहत अनुदान की राशि पीड़ित/आश्रित को दी जाय। अगर इस मद में राशि उपलब्ध न हो तो तत्काल दूसरे मद की राशि के माध्यम से शीघ्र मुआवजा दी जाय। मुआवजा के भुगतान की समीक्षा नियमित रूप से की जाय ताकि पीड़ितों/आश्रितों को समय पर मुआवजा मिल सके।

(अनुपालन--सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ अपर पुलिस महानिदेशक, (क0 व0))

कार्यावली बिन्दु संख्या–8

9–जिला स्तर पर गठित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के कार्यकलाप की समीक्षा

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि सभी जिलों में नियम–17 के आलोक में जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित की जाती है। अबतक 5 जिलों द्वारा चार से अधिक बैठक, 11 जिलों द्वारा तीन बैठक, 15 जिलों द्वारा दो बैठक एवं 7 जिला द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है। सभी जिला पदाधिकारियों को जिला स्तरीय सतर्कता एवं मोनिटरिंग समिति की बैठक में इस अधिनियम/नियम के तहत विशेष कार्य पदाधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजकों के कार्यक्षमता की समीक्षा किये जाने का निदेश दिया जा सकता है ताकि स्पीडी ट्रायल और conviction rate बढ़ाया जा सके।

इस संबंध में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव के स्तर से *प्रत्येक माह होनेवाले Video conference के माध्यम से प्रत्येक जिला पदाधिकारी के साथ समीक्षा की जाय।*

(अनुपालन–मुख्य सचिव/सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यावली बिन्दु संख्या–9

10–भारत सरकार से नियम– 12(4) एवं 17 में संशोधन के प्रस्ताव पर विमर्श

सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग ने बताया कि भारत सरकार के पत्रांक 11012/3/2013–पी.सी.आर. (डेस्क), दिनांक 10.07.2014 से प्राप्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम– 2014 की प्रति सभी को उपलब्ध करायी गई है। संशोधित दर वृद्धि पर मुआवजा का भुगतान किया जा रहा है।

इसी प्रकार नियम–1995 के नियम–17 के आलोक में अनुमंडल स्तर पर भी अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के गठन किया जाना है। इस संबंध में सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया है।

माननीय अध्यक्ष द्वारा निदेश दिया गया कि अनुमंडल स्तर पर भी अनुमंडल स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के गठन किया जाय।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

कार्यावली विन्दु संख्या–11

11–अन्यान्य:–

(i) **श्री उदय कुमार, अध्यक्ष राज्य महादलित आयोग, बिहार पटना** ने निम्नलिखित बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया:–

(a) राज्य के बाहर पढ़ाई करने वाले छात्र/छात्राओं की प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्र किया जाय।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(b) राज्य के सभी थानों में निदेश भेजा जाय कि जो भी पदाधिकारी दलित/महादलित केस दर्ज नहीं करता है उनके विरूद्ध अधिनियम के सुसंगत धारा के तहत कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–अपर पुलिस महानिदेशक(क0व0))

(c) जिला स्तर की समिति में दलित/महादलित के एक सदस्य को रखा जाय।

(अनुपालन– सभी जिला पदाधिकारी)

(d) अनुमंडल राजगीर, जिला– नालंदा के मौजा पंडितपुर थाना सं0 475 खाता सं0–186 खेसरा सं0 924 रकवा–0.40 एकड़ जमीन को महादलितों के वितरित की जाय।

(अनुपालन– राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(ii) **श्री विद्यानन्द विकल, अध्यक्ष राज्य अनु0 जाति आयोग, बिहार पटना ने** निम्नलिखित बात की ओर ध्यान आकृष्ट किया:–

(a) पटना, गया, भागलपुर, बेगूसराय एवं मुजफ्फरपुर में स्वीकृत अनन्य विशेष न्यायालय(exclusive special court) का गठन शीघ्र किया जाय।

(अनुपालन–विधि विभाग)

(b) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति से संबंधित मामलें एवं अन्य मामलों में जख्म प्रतिवेदन (injury report) एवं अन्त्य परीक्षण (Post mortem) प्रतिवेदन समय पर देने के लिए मार्ग–निर्देशिका (Guideline) तैयार कराने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन– पुलिस महानिदेशक/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग)

(c) इस अधिनियम की धारा 7(2)1 के तहत् कांडों में 30 दिनों के अंदर अंतिम आरोप पत्र समर्पित करने का निदेश सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को भेजी जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक)

(d) नियम 10 के तहत् अत्याचार के परिलक्षित क्षेत्र में चेतना केंद्र स्थापित किया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी)

(e) नियम 8 के तहत् अपराध अनुसंधान विभाग, कमजोर वर्ग में स्थापित संरक्षण कक्ष में पर्याप्त पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाय।

(अनुपालन–गृह विभाग)

(f) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में अधिनियम 1989 एवं नियम 1995 के सफल कार्यान्वयन हेतु एक विशेष कोषांग का गठन किया जाय, साथ ही इसके लिए पदों को स्वीकृत किया जाय।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(g) जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का पुर्नगठन किया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/ अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(h) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों में conviction rate बढ़ाने के लिए विशेष न्यायालयों में नियमित सुनवाई की प्रावधान सुनिश्चित करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाय।

(अनुपालन–विधि विभाग)

(i) सभी संबंधित पुलिस पदाधिकारियों के लिए प्रमंडल स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन किया जाय। जिसमें उन्हें अधिनियम की सुसंगत धारा की जानकारी दी जाय।

(अनुपालन–अपर पुलिस महानिदेशक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(j) राज्य स्तर पर विशेष लोक अभियोजकों के लिए कार्यशाला आयोजित किया जाय।

(अनुपालन–विधि विभाग/महानिदेशक अभियोजन)

(k) निम्नलिखित कांडों का स्पीडी ट्रायल (Speedy Trial) कराये जाने का प्रस्ताव दिया गयाः–

(1) चरपोखरी थाना कांड सं0 56/13 भोजपुर।

(2) चरपोखरी थाना कांड सं0 58/13 भोजपुर।

(3) नवादा थाना कांड सं0 156/12 आरा, भोजपुर।

(4) राजपुर थाना कांड सं0 158/13 बक्सर।

(5) सिकंदरा थाना कांड सं0 17/13 जमुई।

(6) वेतिया थाना कांड सं0 735/12 प0 चंपारण।

(7) चनपटिया थाना सं0 288/12 प0 चंपारण।

(8) दुर्गावती(कैमूर) थाना काण्ड सं0–98/13।

(9) शिवसागर थाना कांड सं0 158/13 रोहतास।

(10) टेकारी थाना कांड सं0 294/13 गया।

(11) अगमकुआँ थाना कांड सं0 340/14 पटना।

(12) बिहटा थाना कांड सं0 498/14 पटना।

(13) पटना खाजेकला थाना कांड सं0 144/13 पटना।

(14) पहाड़गंज (कोठिया) थाना कांड सं0 181/14 किशनगंज।

(15) डिहरी अनुसूचित जाति/जनजाति थाना कांड सं0 45/14 रोहतास।

(अनुपालन–अपर पुलिस महानिदेशक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(l) राज्य के सभी अम्बेदकर छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा की व्यवस्था की जाय।

(अनुपालन–अपर पुलिस महानिदेशक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(m) गृह विभाग (मुख्यालय) द्वारा निम्नलिखित कांडों का CID से जॉच कराई जायः–

(1) कुढ़नी थाना कांड सं0 96/13 सीवान।

(2) कर्जा थाना कांड सं0 79/13 मुजफ्फरपुर।

(3) कर्जा थाना कांड सं0 80/13 मुजफ्फरपुर।

(3) कल्याणपुर थाना कांड सं0 30/13 समस्तीपुर।

(अनुपालन–अपर पुलिस महानिदेशक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(n) भूमि विवाद से संबंधित अत्याचार मामले का निवारण

(1) पटना के अगमकुआं थानान्तर्गत टी0वी0 टावर के नजदीक आवास बोर्ड के जमीन को निर्माण कार्य हेतु NBCC को आवंटित करने की मामले की जॉच की जाय।

(2) बेगूसराय के कुसमौत में अयोध्या सिंह ट्रस्ट के 1800 एकड़ जमीन का सीमांकन कराकर दलित पर्चेधारियों को दखल कब्जा दिलाई जाय।

(3) रहिका मधुबनी में सबरी सरोवर के लगभग 5 एकड़ भूमि पर दबंगों का कब्जा है जिससे महादलितों को विस्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। अतः महादलितों को जमीन का पर्चा दिया जाय।

(4) दलित आदिवासियों के सभी श्मशान भूमि एवं चिरारी भूमि को अतिकमण मुक्त कराकर घेराबंदी कराने की कार्ययोजना बनाई जाय।

(अनुपालन– कमांक–n (1 से 4) तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(iii) **श्री जगजीवन नायक, उपाध्यक्ष, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग** द्वारा निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(a) गोपालगंज थावे रेल थाना कांड सं0 136/13।
(b) सीवान बसंतपुर थाना कांड सं0 77/13।
(c) सीवान दरौंधा थाना कांड सं0 52/14।
(d) सीवान बसंतपुर थाना कांड सं0 143/14।
(e) सीवान महाराजगंज थाना कांड सं0 114/14।
(f) सीवान असाव थाना कांड सं0 82/14।
(g) सीवान गुठनी थाना कांड सं0 214/14।
(h) मोतिहारी सुगौली थाना कांड सं0 403/14।
(i) छपरा रसलपुर थाना कांड सं0 51/14।
(j) सीवान आदर थाना कांड सं0 142/14।

(अनुपालन–कमांक–(a) से(j) तक अपर पुलिस महानिदेशक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग)

(iv)– **श्रीमती अमला देवी, माननीया सदस्य, स0वि0स0** ने निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(a) त्रिवेणीगंज (सुपौल) थाना में काण्ड सं0–177/09 में पीडित सुश्री रूवी देवी पिता– श्री शंकर सरदार को मुआवजा दिलाया जाय।

(b) छातापुर (सुपौल) थाना कांड सं0 266/14 में पुलिस पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाय।

(c) जदिया (सुपौल) थाना कांड सं0 76/2014 में श्री बुद्धन सरदार, पिता श्री फनी सरदार जिला सुपौल को न्याय दिलाया जाय ।

(अनुपालन–(a) से (c) पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, क0व0 अपराध अनुसंधान विभाग)

(v) **श्री अरूण मांझी, माननीय सदस्य, स0 वि स0** ने निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(a) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति से संबंधित मामलें एवं अन्य मामलों में जख्म प्रतिवेदन (injury report) एवं अन्त्य परीक्षण (Post mortem) प्रतिवेदन समय पर देने का अनुरोध किया गया

(अनुपालन– अपर पुलिस महानिदेशक(क0व0)/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग)

(vi) **श्री सुरेश चंचल, माननीय सदस्य, स0वि0स0** ने ध्यान आकृष्ट किया कि श्री रामनरेश पासवान, निरीक्षक बेतिया थाना के साथ काजी महम्मदपुर थाना जिला मुजफफ्रपुर के निरीक्षक ने मार–पीट किया तथा मार–पीट के संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है एवं समझौता करने का दबाव डाला जा रहा है, इस मामले की जॉच वरीय पुलिस पदाधिकारी आई0जी0 एवं डी0आईजी0 से कराई जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,क0व0, अपराध अनुसंधान विभाग)

(vii) **श्रीमती मंजू हजारी, माननीया सदस्य, स0वि0स0** द्वारा निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(a) राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं का लाभ अनुसूचित जाति के सदस्यों को दिया जाय। इस संबंध में संबंधित पदाधिकारियों को निदेश भेजा जाय।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी)

(b) अंचलाधिकारी, सिधिया जिला– समस्तीपुर के द्वारा एक जमीनदार से करेह नदी के दोनों तटबंधों के बीच में अनुसूचित जाति के बसावट के लिए औने–पौने दाम पर जमीन खरीदा गया है। इसकी जॉच कराई जाय।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(viii) **श्री रत्नेश सदा, माननीय सदस्य, स0वि0स0** द्वारा निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(a) अंचलाधिकारी, सोनवर्षा, जिला– सहरसा के द्वारा तीन डि0 जमीन के क्रय में अनियमितता बरती गई है और 2012 से लेकर 2014 तक एक भी महादलित परिवार को जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(ix) **श्री रामानंद राम, माननीय सदस्य, स0वि0स0** द्वारा निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(a) अंचलाधिकारी, खगड़िया के द्वारा श्री महेंद्र सदा पिता स्व0 थाईलाल सदा, श्री रामदेव सदा, पिता श्री गेना सदा, श्री रामबालक सदा, पिता स्व0 सत्तन सदा एवं अन्य (कुल 17) महादलित समुदाय के आवेदक की जमीन कब्जा रहने के बावजूद भी रसीद नहीं काटा जा रहा है। इनका स्थायी पता ग्राम–घोघराहा पो0 बरैय, थाना+जिला– खगड़िया है। इन सभी लोगों का खतिहानी जमीन पत्रांक– 872 दिनांक 24.08.1995 के अनुसार थाना सं0 236, खाता सं0 115, खेसरा 477, 494, 505, 518 इत्यादि है। इसकी जॉच कराई जाय एवं महादलित समुदाय के लोगों के नाम से रसीद काटी जाय।

(अनुपालन–राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)

(x) **श्री श्याम बिहारी राम, माननीय सदस्य, स0वि0स0** द्वारा निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(a) शिव सागर (रोहतास) थाना कांड सं0 158/13 में बड्डी ग्राम के अनुसूचित जाति के लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट उपलब्ध कराया जाय।

(b) मोहनपुर काराकाट (रोहतास) थाना कांड सं0 211/14 की जॉच कराई जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,क0व0, अपराध अनुसंधान विभाग)

(xi) **श्रीमती ज्योति देवी, माननीया सदस्य, स0वि0स0** द्वारा निम्नांकित बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गयाः–

(a) जिलों में स्थापित थाना एवं विशेष थाना में अनुसूचित जाति के मामलों को ससमय दर्ज करने का निदेश दिया जाय।

(अनुपालन–पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,क0व0, अपराध अनुसंधान विभाग)

माननीय अध्यक्ष–सह–मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

(i) सभी सदस्यों को बैठक की कार्यावली बिन्दु की टिप्पणी एवं गत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह पूर्व में उपलब्ध करा दिया जाय ताकि सभी सदस्य अधिनियम/नियम के सारे प्रावधानों को समझ कर आयें।

(अनुपालन–अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(ii) मुख्य सचिव स्तर से विडियो कान्फेसिंग के माध्यम से अधिनियम/नियम के प्रत्येक बिन्दुओं की समीक्षा की जाय।

(अनुपालन– मुख्य सचिव)

(iii) विशेष लोक अभियोजको के कार्यकलापों की समीक्षा हो। जो अच्छा काम नही कर रहे है। उन्हे हटाकर नये अधिवक्ताओं को दायित्व सौपी जाय।

(अनुपालन–महानिदेशक अभियोजन/विधि विभाग)

(iv) राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित रोस्टर के आधार पर जिला स्तर पर सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करे।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

(v) विधि विभाग के द्वारा अनन्य विशेष न्यायालय (Exclusive Special Courts) का गठन शीघ्र किया जाय।

(अनुपालन–विधि विभाग)

(vi) प्रखंड एवं जिला स्तर के 20 सूत्री समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के बैठने की व्यवस्था की जाय एवं प्रत्येक स्तर के 20 सूत्री अनुश्रवण समिति की बैठक का रोस्टर तैयार किया जाय।

(अनुपालन–सभी जिला पदाधिकारी/ग्रामीण विकास विभाग)

(vii) विभाग स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम 1995 के कार्यान्वयन हेतु एक कोषांग का गठन किया।

(अनुपालन– अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग)

(viii) हत्या के मामलों में अन्त्य परीक्षण (Post mortem) प्रतिवेदन का इंतजार नही किया जाय तुरंत निर्धारित मुआवजा का भुगतान किया जाय।

(अनुपालन– गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक/सभी जिला पदाधिकारी)

(ix) संशोधित नियमावली–2014 के नियम–12(4) के कंडिका–21 के आलोक में हत्या/ मृत्यु/नरसंहार/बलात्संग, के मामलें पीड़ित/आश्रित को अत्याचार की तारीख से मुआवजा के अतिरिक्त सिर्फ पेंशन पर निर्भर न हो। नियोजन (कोई भी रोजगार)/भूमि क्रय कर भी आश्रित/पीडित को प्रदान किया जाय।

(अनुपालन– सभी जिला पदाधिकारी)

(x) अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति से संबंधित मामलें एवं अन्य मामलों में जख्म प्रतिवेदन (injury report) काफी विलंब से मिलने एवं उसके कारण कानूनी कार्रवाई में अड़चन/विलंब होने के संबंध में निदेश दिया गया कि मुख्य सचिव इस पूरे मसले पर पुलिस महानिदेशक, प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, प्रधान सचिव, गृह विभाग, सचिव, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग, सचिव, विधि विभाग, एवं अपर पुलिस महानिदेशक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग के साथ बैठक आयोजित करं जख्म प्रतिवेदन (injury report) निर्धारित समय अवधि के निर्गत करने के लिए मार्ग–निर्देशिका (Guideline) तैयार कराने की कार्रवाई करें।

(अनुपालन– पुलिस महानिदेशक/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग)

अन्त में संयोजक–सह–सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह0/–

(एस0 एम0 राजू)
सचिव
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति
कल्याण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर0(विविध)09–56/14-2737 पटना, दिनांक–09.12.2014

प्रतिलिपि– माननीय सांसद/माननीय सदस्य, बिहार विधान सभा, सदस्य राज्य स्तरीय सत्तर्कता एवं अनुश्रवण समिति को सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर0(विविध)09–56/14-2737 पटना, दिनांक–09.12.2014

प्रतिलिपि– सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय,बिहार/आप्त सचिव, वित्त मंत्री /आप्त सचिव, गृह मंत्री/आप्त सचिव, मंत्री अनु0 जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण/आप्त सचिव, विधि मंत्री/आप्त सचिव, मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार को सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर0(विविध)09–56/14-2737 पटना, दिनांक–09.12.2014

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव के सचिव, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार/अपर पुलिस महानिदेशक(कमजोर वर्ग) अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर0(विविध)09–56/14-2737 पटना, दिनांक–09.12.2014

प्रतिलिपि– सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव,/विधि विभाग, बिहार, पटना/गृह (आरक्षी)विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/आरक्षी उप निरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक(क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग/महानिदेशक, अभियोजन/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग,/निदेशक,आई0सी0डी0एस0/निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग/सभी जिला पदाधिकारी/सभी आरक्षी अधीक्षक/सभी उप निदेशक, कल्याण एवं सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर0(विविध)09–56/14-2737 पटना, दिनांक–09.12.2014

प्रतिलिपि– संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक(मु0)।

ज्ञाप संख्या–1/पी0सी0आर0(विविध)09–56/14-2732 पटना, दिनांक–09.12.2014

प्रतिलिपि– निदेशक, राष्ट्रीय अनु0 जाति/जनजाति आयोग, 189,बी श्रीकृष्णापुरी, पटना/सचिव, राज्य अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, राज्य महादलित आयोग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक(मु0)।